न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी सुनीता डागा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 184/2017 **दायरा दिनांक : 25.10.2017**

उनवान

हजारीलाल पुत्र श्री जमनालाल, आयु 31 वर्ष, जाति लोधा, निवासी ग्राम झनझनी, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1— धूलीलाल पुत्र श्री गोपीलाल, जाति लोधा, निवासी झनझनी, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

2— शोराम पुत्र श्री गोपीलाल, जाति लोधा, निवासी झनझनी, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

3— ग्यारसी बाई पुत्री श्री गोपीलाल, जाति लोधा, निवासी झनझनी, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

4— शान्ति बाई पुत्री श्री गोपीलाल, जाति लोधा, निवासी झनझनी, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

5— भूली बाई बेवा श्री गोपीलाल, जाति लोधा, निवासी झनझनी, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

6— शिवलाल पुत्र श्री नारायण, जाति लोधा, निवासी झनझनी, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

7— रामनाथ पुत्र श्री रंगलाल, जाति लोधा, निवासी झनझनी, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

8— मेघराज पुत्र श्री रंगलाल, जाति लोधा, निवासी झनझनी, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां नाबालिग वली माता वसरप्रस्त ग्यारसीबाई बेवा श्री रंगलाल, जाति लोधा, निवासी झनझनी, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

9— रामबाई पुत्री श्री रंगलाल, जाति लोधा, निवासी झनझनी, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

10— गुड्डी बाई पुत्री श्री रंगलाल, जाति लोधा, निवासी झनझनी, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

11— धापू बाई पुत्री श्री रंगलाल, जाति लोधा, निवासी झनझनी, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

12— ग्यारसी बाई बेवा श्री रंगलाल, जाति लोधा, निवासी झनझनी, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

13— सूरजी बाई पुत्री नन्दा, जाति लोधा, निवासी झनझनी, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

14— भोलाराम पुत्र श्री देवीलाल, जाति लोधा, निवासी झनझनी, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

15— पन्ना लाल पुत्र श्री देवीलाल, जाति लोधा, निवासी झनझनी, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

16— बाबू लाल पुत्र श्री देवीलाल, जाति लोधा, निवासी झनझनी, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

17— झमकू बाई पुत्री श्री देवीलाल, जाति लोधा, निवासी झनझनी, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

18— अजोध्या बाई पुत्री श्री देवीलाल, जाति लोधा, निवासी झनझनी, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

19— रामप्यारी बेवा श्री देवीलाल, जाति लोधा, निवासी झनझनी, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

20— त्रिलोक चन्द पुत्र श्री देवलाल, जाति लोधा, निवासी झनझनी, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

21— जमनालाल पुत्र श्री देवलाल, जाति लोधा, निवासी झनझनी, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

22– मुकेश पुत्र श्री देवलाल, जाति लोधा, निवासी झनझनी, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

23– राजेन्द्र पुत्र श्री देवलाल, जाति लोधा, निवासी झनझनी, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां नाबालिग जर्ये वली माता भंवरी बाई बेवा श्री देवलाल, जाति लोधा, निवासी झनझनी, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

24– बादाम बाई पुत्री श्री देवलाल पत्नी श्री रामकरण, जाति लोधा, निवासी सेतकोलू, तहसील छीपाबडौद, जिला बारां

25– शैतान बाई पुत्री देव लाल बेवा पिन्टया, जाति लोधा, निवासी पीपलहेड़ा, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

26– भंवरी बा बेवा श्री देवलाल, जाति लोधा, निवासी झनझनी, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

27– मदन पुत्र भंवरया, जाति लोधा, निवासी झनझनी, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

28– देव बाई पुत्री श्री भंवरया पत्नी श्री रामगोपाल, जाति लोधा, निवासी पीपलहेड़ा, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां,

29– किशनी बाई पुत्री श्री भंवरया, पत्नी श्री रामप्रताप, जाति लोधा, निवासी सेवन्या, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

30– भूली बेवा श्री भंवरया, जाति लोधा, निवासी झनझनी, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

31– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छीपाबडोद, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

अपील संख्या 185/2017 **दायरा दिनांक : 25.10.2017**

उनवान

हजारीलाल पुत्र श्री जमनालाल, आयु 31 वर्ष, जाति लोधा, निवासी ग्राम झनझनी, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां .... अपीलांट

बनाम

1— धूलीलाल पुत्र श्री गोपीलाल, जाति लोधा, निवासी झनझनी, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

2— शोराम पुत्र श्री गोपीलाल, जाति लोधा, निवासी झनझनी, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

3— ग्यारसी बाई पुत्री श्री गोपीलाल, जाति लोधा, निवासी झनझनी, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

4— शान्ति बाई पुत्री श्री गोपीलाल, जाति लोधा, निवासी झनझनी, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

5— भूली बाई बेवा श्री गोपीलाल, जाति लोधा, निवासी झनझनी, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

6— शिवलाल पुत्र श्री नारायण, जाति लोधा, निवासी झनझनी, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

7— रामनाथ पुत्र श्री रंगलाल, जाति लोधा, निवासी झनझनी, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

8— मेघराज पुत्र श्री रंगलाल, जाति लोधा, निवासी झनझनी, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां नाबालिग वली माता वसरप्रस्त ग्यारसीबाई बेवा श्री रंगलाल, जाति लोधा, निवासी झनझनी, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

9— रामबाई पुत्री श्री रंगलाल, जाति लोधा, निवासी झनझनी, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

10— गुड्डी बाई पुत्री श्री रंगलाल, जाति लोधा, निवासी झनझनी, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

11— धापू बाई पुत्री श्री रंगलाल, जाति लोधा, निवासी झनझनी, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

12— ग्यारसी बाई बेवा श्री रंगलाल, जाति लोधा, निवासी झनझनी, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

13– सूरजी बाई पुत्री नन्दा, जाति लोधा, निवासी झनझनी, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

14– भोलाराम पुत्र श्री देवीलाल, जाति लोधा, निवासी झनझनी, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

15– पन्ना लाल पुत्र श्री देवीलाल, जाति लोधा, निवासी झनझनी, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

16– बाबू लाल पुत्र श्री देवीलाल, जाति लोधा, निवासी झनझनी, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

17– झमकू बाई पुत्री श्री देवीलाल, जाति लोधा, निवासी झनझनी, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

18– अजोध्या बाई पुत्री श्री देवीलाल, जाति लोधा, निवासी झनझनी, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

19– रामप्यारी बेवा श्री देवीलाल, जाति लोधा, निवासी झनझनी, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

20– त्रिलोक चन्द पुत्र श्री देवलाल, जाति लोधा, निवासी झनझनी, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

21– जमनालाल पुत्र श्री देवलाल, जाति लोधा, निवासी झनझनी, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

22– मुकेश पुत्र श्री देवलाल, जाति लोधा, निवासी झनझनी, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

23– राजेन्द्र पुत्र श्री देवलाल, जाति लोधा, निवासी झनझनी, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां नाबालिग जर्ये वली माता भंवरी बाई बेवा श्री देवलाल, जाति लोधा, निवासी झनझनी, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

24– बादाम बाई पुत्री श्री देवलाल पत्नी श्री रामकरण, जाति लोधा, निवासी सेतकोलू, तहसील छीपाबडौद, जिला बारां

25– शैतान बाई पुत्री देव लाल बेवा पिन्टया, जाति लोधा, निवासी पीपलहेड़ा, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

26– भंवरी बा बेवा श्री देवलाल, जाति लोधा, निवासी झनझनी, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

27– मदन पुत्र भंवरया, जाति लोधा, निवासी झनझनी, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

28– देव बाई पुत्री श्री भंवरया पत्नी श्री रामगोपाल, जाति लोधा, निवासी पीपलहेड़ा, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां,

29– किशनी बाई पुत्री श्री भंवरया, पत्नी श्री रामप्रताप, जाति लोधा, निवासी सेवन्या, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

30– भूली बेवा श्री भंवरया, जाति लोधा, निवासी झनझनी, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

31– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छीपाबडोद, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

.... अपीलांट

उपस्थित – श्री हरिओम चतुर्वेदी अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री दूल्हे सिंह अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 31.10.2018**

ये दोनों अपीलें समान पक्षकारों के मध्य एवं समान प्रकृति की होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है ।

ये दोनों अपीलें अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, छीपाबडोद के प्रकरण संख्या –

71/2011 निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 21.03.2013 एवं निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 04.07.2015 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपीलों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेंटगण 1 लगायत 19 ने रेस्पोडेंटगण 20 लगायत 30 एवं अन्य के खिलाफ एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर यह कथन किया कि ग्राम सुरजपुराखुर्द पटवार हल्का मानपुरा, तहसील छीपाबडोद, में स्थित खाता संख्या 15 की आराजी खसरा नम्बर 14 रकबा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 15 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 16 रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा कुल 3 किता की 8 बीघा 16 बिस्वा आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण के शामलाती खाते में दर्ज है । शामलाती खाते में आराजी होने के कारण लगान जमा करवाने, सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने, और भूमि का विकास करवाने में विवाद होता है तथा काश्त करने में काफी कठिनाई आती है । अतः दावा वादी स्वीकार कर वादग्रस्त आराजी का विभाजन किया जाये । अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 21.03.2013 को दावा वादी स्वीकार कर विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की है और दिनांक 04.07.2015 को विभाजन की अंतिम डिक्री जारी की है, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील संख्या 184/2017 प्रारम्भिक डिक्री के खिलाफ पेश की गई । अपील में यह कथन किया गया है कि ग्राम सुरजपुराखुर्द पटवार हल्का मानपुरा, तहसील छीपाबडोद, खाता संख्या नयी 15 पुरानी 16 की आराजी खसरा नम्बर 12 रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 13 रकबा 6 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 17 रकबा बीघा 1 बिस्वा कुल 3 किता की 11 बीघा 11 बिस्वा आराजी देवलाल, मदन पुत्र भंवरया, देव, किशनी पुत्रियां भंवरया, भूली बेवा भंवरया, जाति लोधा, साकिन झनझनी के नाम संयुक्त खातेदारी में दर्ज थी ।

सहखातेदार देवलाल की मृत्यु उपरान्त जर्ये फौती नामान्तरकरण संख्या 194 दिनांक 13.08.2011 से मृतक देवलाल के हिस्से की आराजियात त्रिलोकचन्द, जमनालाल, मुकेश, राजेन्द्र पुत्र देवलाल, बादाम बाई, शैतानी बाई पुत्रियां देवलाल, भंवरी बाई बेवा देवलाल के नाम संयुक्त खाते दर्ज है । उक्त आराजियात मृतक भंवरया की स्वार्जित आराजी थी जो रेस्पोडेंट नम्बर 20 से 30 को विरासत में प्राप्त हुई है । उक्त आराजियात के खातेदारान ने जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 05.08.2011 से अपीलांट को बेचान की जो जर्ये नामान्तरकरण संख्या 198 से अपीलांट के नाम खातेदारी में दर्ज हुई तब से अपीलांट अपनी क्रय की गई आराजियात पर बहैसियत खातेदार काबिज काश्त है । उक्त आराजियात अपीलांट के बेचान किये जाने के उपरान्त रेस्पोडेंट क्रम 1 लगायत 19 ने खाता संख्या 11 व 61 की आराजियात बाबत घोषणा एवं विभाजन का दावा रेस्पोडेंट क्रम 20 लगायत 30 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया जिसमें अपीलांट को पक्षकार बनाये बिना ही रेस्पोडेंटगण ने मिलीभगत से एक तरफा डिक्री दिनांक 21.03.2013 को पारित करवाकर अपीलांट को बेचान की गई । आराजियात खसरा नम्बर 12, 13, 17 के 1/3 हिस्से का रेस्पोडेंट क्रम 6 लगायत 12 व 1/3 हिस्से का रेस्पोडेंट क्रम 13 व 1/3 हिस्से आराजियात का रेस्पोडेंट क्रम 20 लगायत 30 को खातेदार कृषक घोषित करवा लिया । खाता संख्या 61 की आराजियात वाद पूर्व ही अपीलांट को दिनांक 08.05.2011 को बेचान की गई और प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई । रेस्पोडेंटगणों ने विक्रय की गई आराजी में छल कपट से राजस्व रेकार्ड के रेकार्डेड खातेदार अपीलांट को वाद में पक्षकार बनाये बिना ही, सूचना एवं सुनवायी का अवसर दिये बिना, प्राकृतिक न्याय के प्रावधानों एवं सिद्धांतों की अवहेलना कर पारित की गई प्रारम्भिक डिक्री व निर्णय दिनांक 21.03.2013 निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 17.04.2017 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील संख्या 185/2017 अंतिम डिक्री के खिलाफ पेश की गई हैं जिसमें अपीलांट ने कथन किया है कि बंटवारा प्रस्ताव समस्त पक्षकारान की उपस्थिति में तैयार नहीं किया गया है । बंटवारा प्रस्ताव पर अपीलांट के हस्ताक्षर नहीं है और न ही तहसीलदार के हस्ताक्षर है । मौके पर तैयार नहीं किया गया है । प्रारंभिक डिक्री अवैध है । खाता शामिल में नहीं था । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 17.04.2017 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

दोनों अपीलें प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उपरोक्त विवादित आराजी रेस्पोडेंट संख्या 20–29 के पिता की स्वार्जित सम्पत्ति थी तथा रेस्पोडेंट संख्या 20–29 के पिता की मृत्यु के बाद उनके द्वारा जरिये रजिस्ट्री दिनांक 05.08.2011 को अपीलांट को खसरा नम्बर 12, 13, 17 के 34/35

हिस्से 11 बीघा 11 बिस्वा आराजी का बेचान कर दिया गया था । अपीलांट के द्वारा इस सम्बन्ध में विक्रय पत्र की प्रति भी पेश की है । अपीलांट वकील का यह कथन है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 19 ने रेस्पोडेंट संख्या 20–30 के खिलाफ अधीनस्थ न्यायालय में बंटवारे का दावा पेश किया जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 21.03.2013 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 04.07.2015 जारी की है । रेस्पोडेंट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में इस तथ्य को छुपाया गया कि उनके द्वारा आराजी का बेचान दिनांक 05.08.2011 को अपीलांट को दावा करने से पूर्व ही कर दिया गया था । अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट द्वारा दावा दिनांक 11.08.2011 को पेश किया गया है जबकि रेस्पोडेंट संख्या 20 – 29 के द्वारा हिस्से का 34/35 भाग 11 बीघा 11 बिस्वा आराजी का बेचान दिनांक 05.08.2011 को ही कर दिया गया । रेस्पोडेंट को उपरोक्त बेचान की जानकारी होते हुए भी दावे में पक्षकार नहीं बनाया गया एवं अपीलांट की अनुपस्थिति में ही दावा डिक्री किया गया है । अपीलांट उपरोक्त आराजी का विधिवत क्रेता है एवं बिना अपीलांट को पक्षकार बनाये हुए रेस्पोडेंट जो बंटवारे की डिक्री पारित करवायी गई है वह त्रुटिपूर्ण है और खारिज होने योग्य है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से के अनुसार विभाजन की प्रारंभिक डिक्री जारी की है और तहसील से बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त कर विभाजन की अंतिम डिक्री विधि सम्मत् रूप से जारी की है । दोनों अपीलें सारहीन होने से खारिज की जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

हमारे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया और अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री एवं दस्तावेजात का अध्ययन किया गया । अपीलांट द्वारा प्रस्तुत विक्रय पत्र के अनुसार रेस्पोडेंट संख्या 20 – 30 जो कि देवलाल तथा भंवरया के वारिसान हैं उनके द्वारा खसरा नमबर 12 रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 13 रकबा 6 बीघा 2 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 17 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा आराजी हजारी लाल पुत्र जमना लाल को बेचान किया गया है जिसका नामान्तरकरण के माध्यम से जमाबंदी सम्वत 2069–72 में हजारी पुत्र जमना हिस्सा 34/35 दर्ज किया जा चुका है । जबकि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा जो प्राथमिक डिकी दिनांक 21.03.2013 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 04.07.2015 जारी की गई है उसमें अपीलांट को पक्षकार बनाना नहीं पाया जाता है तथा उपरोक्त आराजी को जिसका बेचान अपीलांट को किया जा चुका है उसको भी शामिल करते हुए बंटवारा प्रस्ताव दिनांक 04.07.2015 तहसीलदार छीपाबडोद द्वारा तैयार किया गया है एवं उक्तानुसार ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा डिक्री जारी की गई है । अतः अपीलांट का उपरोक्त आराजी में हित निहित है । उपरोक्त आराजी में विधिवत क्रेता एवं खातेदार है । रेस्पोडेंट संख्या 20–30 के द्वारा आराजी खसरा नम्बर 12, 13, 17 का 11 बीघा 11 बिस्वा आराजी का बेचान अपीलांट को किया जा चुका है जिससे उनके खातेदारी अधिकार स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं एवं उपरोक्त बंटवारे के दावे में अपीलांट आवश्यक पक्षकार है । अतः अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक होगा ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपीलें अपील संख्या 184/2017 एवं 185/2017 अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्रारिम्भक डिक्री दिनांक 21.03.2013 एवं निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 04.07.2015 अपास्त किये जाते हैं । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट एवं समस्त रेस्पोडेंट की पुनः सुनवायी कर विधि सम्मत प्रस्ताव पुनः तहसीलदार से प्राप्त कर बंटवारे की डिक्री नये सिरे से विधि सम्मत रूप से पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 26.12.2018 को उपस्थित होवें ।

निर्णय आज दिनांक 31.10.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुनीता डागा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा